Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टीगेटर कम सर्वेयर को 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जनवरी*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की एस.आई.यू. इकाई द्वारा आज सोमवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टीगेटर कम सर्वेयर मुकेश पारीक 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की मुख्यालय स्थित एस.आई.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि करीब 4–5 माह पूर्व बिजली के तार छूने पर आग लगने पर हुये बस एक्सीडेंट, जिसमें पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, के क्लेम प्रकरण में कार्यवाही करने की एवज में ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टीगेटर कम सर्वेयर मुकेश पारीक द्वारा 4 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी मुख्यालय स्थित एस.आई.यू. इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री सचिन शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टीगेटर कम सर्वेयर मुकेश पारीक** पुत्र श्री रामस्वरूप पारीक निवासी सी–9, विनोबा भावे नगर, वैशालीनगर, जयपुर को 1 लाख रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपी मुकेश पारीक लाल घेरे में